न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बारां

पीठासीन अधिकारी : नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 11 /2022. (Bank Case)

"आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड" (पूर्व नाम–हाउसिंग फाईनेन्स लि0), मुख्य व्यवसायिक कार्यालय–201–202, द्वितीय तल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर–302020 (राजस्थान)

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्रीमती जशोदा बाई रेगर पत्नि श्री नन्द किशोर रेगर
पता:– 966, शांति लाल जी की बाड़ी, नन्द विहार, कोलियों का मोहल्ला तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान– 325218 **(ऋणी– बंधककर्ता)**
2. श्री दीपक कुमार रैगर पुत्र श्री नन्द किशोर रैगर,
पता:–966, शांति लाल जी की बाड़ी, नन्द विहार, कोलियों का मोहल्ला तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान– 325218 **(सह–ऋणी)**
3. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री केसरी लाल
पता:– कोलियों का मोहल्ला, तह. अटरू जिला बारां राज0– 325218 **(जमानती)**
4. श्री राजेश कुमार प्रजापति पुत्र श्री मोहनलाल
पता:– 356, पावर हाउस कॉलोनी, वार्ड नं. 03, बारां राज0– 325205 **(जमानती)**

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिमूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:–

श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 9/5/22

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी " आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड" (पूर्व नाम–हाउसिंग फाईनेन्स लि0) मुख्य व्यवसायिक कार्यालय–201–202, द्वितीय तल साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर–302020 (राज.) जरिये प्राधिकृत अधिकारी, से अप्रार्थी ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 10 जून 2016 को 7,00,000/– रूपये (अक्षरे सात लाख रूपये) का ऋण लिया था । अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **श्रीमती जशोदा बाई रेगर पत्नि श्री नन्द किशोर रेगर की सम्पत्ति खसरा नं. 1448, [illegible] बारां राजस्थान– 325218 (राज0) कुल क्षेत्रफल 720 स्क्वायर फुट है चतुर्थ[illegible] में केसरीलाल का मकान, पश्चिम में रामचरण का मकान, उत्तर मे [illegible]** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया [illegible] नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान मे व्यतिक्रम व डिफाल्ट ह[illegible] प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक [illegible].2020 को एन.पी.ए. क[illegible] गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 8,31,099/– (अक्षरे आठ लाख इक्कतीस हजार नन्यानवे रूपये) बकाया राशि दिनांक 18.06.2021 तक शेष देय है व दिनांक 19.06.2021 से आगे का ब्याज व मय खर्चे आदि सहित पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.13 12:15:32 IST
Reason: SelfAttested

उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 21.06.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 21.06.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "सीमा संदेश" में दिनांक 23.06.2021 व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 24.07.2021 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 21.06.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **श्रीमती जशोदा बाई रेगर पत्नि श्री नन्द किशोर रेगर की सम्पत्ति खसरा नं. 1448, ग्राम अटरू, तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान– 325218 (राज0) कुल क्षेत्रफल 720 स्क्वायर फुट है चतुर्थ सीमा– पूर्व में केसरी लाल का मकान, पश्चिम में रामचरण का मकान, उत्तर में रामचरण का मकान, दक्षिण में रोड है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक बारां को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 9/5/22 को सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.13 12:15:32 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला मजिस्ट्रेट
बारां